...यालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–45 / 2022
GCMS NO:- 2022/175

दायर दिनांकः 14.03.2022
पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

1. राधेश्याम आ0 छोगालाल जाति ब्राह्मण नि0 बांसी।
2. भोलाशंकर आ0 छोगालाल जाति ब्राह्मण नि0 बांसी।
3. हेमराज आ0 छोगालाल जाति ब्राह्मण नि0 बांसी हाल नि0 मालियों के नोहरे के पास, छत्रपुरा बून्दी।
4. सुरेश आ0 छोगालाल जाति ब्राह्मण नि. बांसी हाल नि0 नवजीवन संघ कॉलोनी गेट नं0 3 के सामने वाली गली, सुभाष नगर, बून्दी।

–प्रार्थीगण–

बनाम

1. अंजनी कुमार आ0 रविदत्त शर्मा जाति ब्राह्मण नि0 बांसी।
2. अशोक कुमार आ0 रविदत्त शर्मा जाति ब्राह्मण नि0 बांसी।
3. जगदीश प्रसाद शर्मा आ0 रविदत्त शर्मा जाति ब्राह्मण नि0 बांसी।
4. बैंक ऑफ बडौदा शाखा बांसी जर्ये शाखा प्रबंधक महोदय, बैंक ऑफ बडोदा शाखा बांसी।
5. भूमिधारी राज0 राज्य द्वारा श्रीमान तहसीलदार साहब, नैनवा

–अप्रार्थीगण –

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 251ए आर.टी एक्ट

उपस्थिति–

प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री राजेन्द्र सिंह सौलंकी।

अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 3 की ओर से वकील श्री राजेश कुमार ठाकौर।

अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से वकील श्री जयसिंह आशावत।

निर्णय दिनांक 22.05.2025

निर्णय

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम बांसी प0म0 बांसी के खसरा नम्बर 2691, 487, 494, 496, 829, 830, 831 कुल किता 7 कुल रकबा 2.2327 हैक्टयर भूमि जो प्रार्थीगण के खातेदारी आधिपत्य की भूमि है। उक्त भूमि मे से खसरा नम्बर 831 व 830 पर जाने के लिए अप्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 837, 835 व 833 व प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 मे वर्णित सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 834 की पश्चिमी मेड के सहारे सहारे होता हुआ एक मात्र रास्ता है जिसका उपयोग व उपभाग प्रार्थीगण पुश्तेनी रूप से करते चले आ रहे है जिसको अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 ने ताकत के बल पर अवैध व अनाधिकृत रूप से बंद करना चाहते है। यदि उक्त रास्ते को वंद कर दिया गया तो प्रार्थीगण की भूमि पडत रहने की पूरी संभावना है। प्रार्थीगण के खाते की भूमि पर पहुंचने के लिए उक्त रास्ते को नक्शा परिशिष्ट अ मे लाल स्याही से क ख मार्क के रूप मे दर्शाया गया है जो प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग है। प्रार्थीगण रास्ते में आने वाली भूमि का नियमानुसार कीमत अदा करने को तैयार है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में परिशिष्ट अ, नकल जमावंदी, नकल नक्शा ट्रेस तथा शपथ–पत्र आदि पेश किये।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश कुमार ठाकौर द्वारा वकालातनामा व जवाब प्रार्थना पत्र पेश किये गए। अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से अधिवक्ता श्री जयसिंह आशावत द्वारा उनका नाम डिलीट करने हेतु निवेदन किया गया। तहसीलदार नैनवॉ द्वारा दिनांक 19.10.2022 को रिपोर्ट पेश की गयी जिस पर प्रत्यार्थीगण अधिवक्ता द्वारा इस आशय से आपत्ती पेश की गयी कि उनके अभिभाष्य को उक्त रिपोर्ट बनाते समय सूचना नही दी गयी तथा एकपक्षीय रिपोर्ट तैयार कर पेश की गयी जिस कम मे पुनः तहसीलदार नैनवॉ द्वारा दिनांक 19.12.2022 को पुनः रिपोर्ट तैयार कर पेश की गयी जिसमे उनके द्वारा प्रार्थीयान के खसरा नम्बर 830, 831 मे जाने के लिए निकटतम गैर मुमकिन रास्ता खसरा नम्बर 814 व 845 से होकर खसरा नम्बर 3901/843, 843 व 844 मे से रास्ता दिया जाना उचित बताया। जिस पर प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा इस आशय से आपत्ती पेश की कि मौके पर उक्त गै0मु0 रास्ता खसरा नम्बर 814 व 845 बंद है तथा उन पर मकान बने हुए है। जिसके संबंध मे तहसीलदार नैनवॉ

से पुनः रिपोर्ट प्राप्त की गयी जिन्होने अपनी रिपोर्ट दिनांक 15.05.2025 मे यह स्पष्ट रिपोर्ट पेश की कि गै0मु0 रास्ता खसरा नम्बर 814 व 845 वर्तमान मे बहाल होकर चालू है तथा खसरा नम्बर 845 मौके पर पक्की ईंटों का बना हुआ है।

बहस सूनी गयी। प्रार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीयान के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 830 व 831 मे जाने के लिए उनके द्वारा परिशिष्ट अ मे दर्शाये गए रास्ते से ही रास्ता दिया जावे तथा तहसीलदार नैनवॉ द्वारा खसरा नम्बर 814 व 845 से होकर जहां से रास्ता प्रस्तावित किया है वहां मौके पर रास्ता बंद है। जिस पर अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया कि तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट अनुसार यदि रास्ता दिया जाता है तो उन्हे कोई आपत्ती नही है।

हमने दोनों विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गयी बहस को ध्यानपूर्वक सूना। बहस मे किये गए विवेचन, प्रार्थना–पत्र, शपथ–पत्र व प्रस्तुत साक्ष्य रिकॉर्ड जमाबन्दी व रास्ते के सम्बंध में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत समस्त रिपोर्ट्स का अवलोकन किया तथा पाया कि प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 830 व 831 मे जाने के लिए खसरा नम्बर 814 व 845 किस्म गै0मु0 रास्ता से होकर खसरा नम्बर 3901/843, 843 व 844 मे से रास्ता दिया जाना उचित होगा जो निकटतम रास्ता भी है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट अनुसार तहसील नैनवॉ के भू.अ.निरीक्षक वृत्त बांसी के ग्राम बांसी मे स्थित प्रार्थीगण के खातेदारी/सहखातेदारी भूमि खसरा नम्बर 830 व 831 पर आने–जाने के लिए भूमि खसरा नम्बर 3901/843, 843 व 844 मे से निम्नानुसार रास्ता दिये जाने के आदेश दिया जाकर, नक्शा ट्रेस जिसमे रास्ता दर्शाया गया है, को परिशिष्ट क नाम दिया जाता है जो इस न्यायालय निर्णय का अभिन्न अंग होगाः–

रास्ते में प्रयुक्त होने वाली भूमि का विवरणः–

खसरा नं0	**खातेदार**	**किस्म**	**लम्बाई**	**x चौडाई**	**क्षेत्रफल**
3901/843	सत्यनारायण (खातेदारी)	चाही ए	138.6 फीट	x 6.6 फीट	914.76 वर्गफीट **अर्थात 0.0085 हैक्टयर**
843	शोजी वगै0 (खातेदारी)	चाही ए	59.4 फीट	x 6.6 फीट	392.04 वर्गफीट **अर्थात 0.0036 हैक्टयर**
844	रतनलाल (खातेदारी)	चाही ए	92.4 फीट	x 6.6 फीट	609.84 वर्गफीट **अर्थात 0.0057 हैक्टयर**

कुल क्षेत्रफल = 1916.64 वर्गफीट या 0.0178 हैक्टयर

तहसीलदार नैनवॉ को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार प्रतिकर राशि राजकोष में जमा होने के उपरांत परिशिष्ट क के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर मौके पर प्रार्थीगण का रास्ता बहाल करें। निर्णय आज दिनांक 22.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवा

मौका नजरी नक्शा ट्रेस

ग्राम = बांसी
पटवार मं० = बांसी
तह. = नैनवां. जिला बून्दी राज०

परिशिष्ट = क

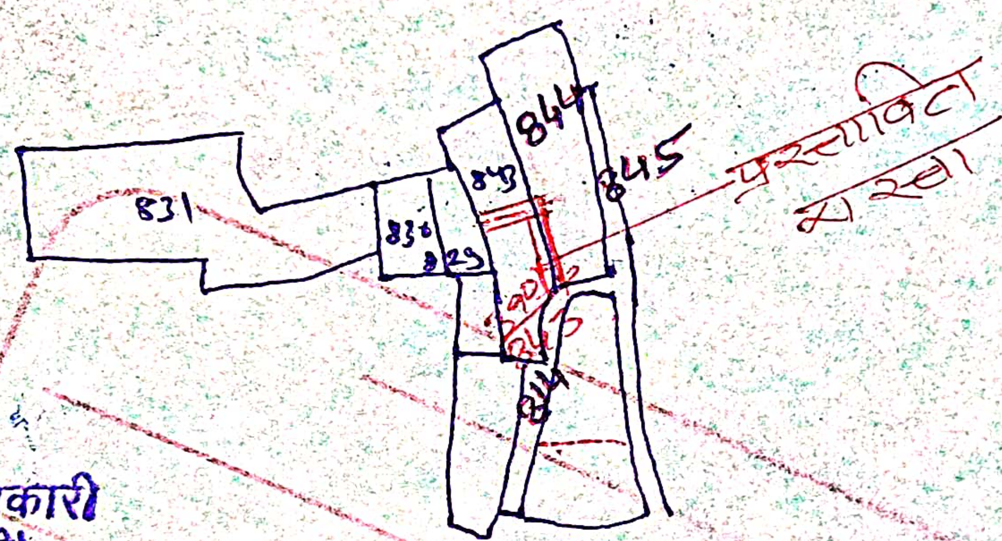

उपखण्ड अधिकारी
नैनवाँ (बून्दी)

राजकार्य हेतु - विधिवत जारी

14/12/2022
पटवारी बांसी